भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
क्रय एवं भंडार निदेशालय
विक्रम साराभाई भवन, '0' तल, अणुशक्तिनगर,
मुंबई, महाराष्ट्र – 400 094.

विज्ञापन सं.1/क्रभनि/2018

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने के लिए प्रयत्नशील है, जिसमें लैंगिक संतुलन प्रदर्शित होता हो। अत: महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

I. क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभनि), मुंबई में तथा क्रभनि की भारत भर में स्थित अन्य क्षेत्रीय इकाइयों में रिक्तियाँ भरने हेतु निम्नलिखित वर्ग 'ख' एवं वर्ग 'ग' पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. पद का नाम : आशुलिपिक ग्रेड-II, वर्ग 'ख' अ-राजपत्रित

रिक्तियों की संख्या	**अ.जा.**	**अ.ज.जा**	**अ.पि.व**	**अनारक्षित**	**कुल**
	-	-	1	-	1
शैक्षिक योग्यता	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अंग्रेजी आशुलिपि में 100 श.प्र.मि. और अंग्रेजी टाइपिंग में 45 श.प्र.मि. की गति				
आयु सीमा	न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष				
वेतन बैंड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6, आरम्भिक वेतन `35400/-				

2. पद का नाम : आशुलिपिक ग्रेड-III, वर्ग 'ग' अ-राजपत्रित

रिक्तियों की संख्या	**अ.जा.**	**अ.ज.जा**	**अ.पि.व**	**अनारक्षित**	**कुल**
	1	-	1	3	5
शैक्षिक योग्यता	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 50% अंक सहित अंग्रेजी आशुलिपि में 80 श.प्र.मि. की गति। अंग्रेजी में 30 श.प्र.मि. की टाइपिंग गति				
आयु सीमा	न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष				
वेतन बैंड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4, आरम्भिक वेतन `25500/-				

3. पद का नाम : कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी - वर्ग 'ग' अ-राजपत्रित (भूतपूर्व सैनिक के लिए विशेष भर्ती)

रिक्तियों की संख्या	**अ.जा.**	**अ.ज.जा**	**अ.पि.व**	**अनारक्षित**	**कुल**
	-	-	1	3	4
शैक्षिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक जिसमें कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक हो। सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा को वरीयता दी जाएगी।				
आयु सीमा	न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष				
वेतन बैंड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4, आरम्भिक वेतन `25500/-				

4. पद का नाम : कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी - वर्ग 'ग' अ-राजपत्रित (विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती)

रिक्तियों की संख्या	**अ.जा.**	**अ.ज.जा**	**अ.पि.व**	**अनारक्षित**	**कुल**	**शारीरिक रुप से विकलांग :** **एचएच (पीडी)** श्रेणी के लिए 01 पद भरा जाएगा
	-	-	-	1	1	
शैक्षिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक जिसमें कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक हो। सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा को वरीयता दी जाएगी।					
आयु सीमा	न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष					
वेतन बैंड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4, आरम्भिक वेतन `25500/-					

II. **<u>नोट:</u>** एचएच – श्रवण विकलांगता, पीडी – आंशिक रूप से बहरा ।

शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए । "श्रवण विकलांगता (एचएच) या कान में क्षति" का मतलब है स्वस्थ कान में संवाद विषयक फ्रीक्वेन्सियों की रेंज में 60 डेसीबल अथवा अधिक की क्षति होना ।

III. **<u>कार्य का स्वरूप/कार्य विवरण</u>:**

1. आशुलिपिक ग्रेड-II एवं आशुलिपिक ग्रेड- III

टाइपिंग, आशुलिपि, नोट-लेना, फाइलों और दस्तावेजों का रखरखाव के साथ - साथ सभी कार्यालय कार्य ।

2. कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी

डेस्क कार्य के साथ-साथ इस कार्य में एयरपोर्ट/डॉक क्लिअरेन्स, बाजार जाने से संबंधित कठिन आउटडोर ड्यूटी, खुले भंडार यार्ड की देख-रेख, उपकरण/ सामग्री को लोड करते और अनलोड करते समय देखरेख करना, रेलवे साइडिंग पर ड्यूटी, सड़क/ रेल मार्ग द्वारा दूरवर्ती स्थान तक सामग्री ले जाने के समय एस्कॉर्ट करना आदि शामिल है ।

IV. **<u>आयु सीमा एवं सभी पदों के लिए छूट:</u>   सभी पदों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष**

(ए) ऊपरी आयु सीमा में छूट: अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 3 वर्ष ।

(बी) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट: अनारक्षित - 10 वर्ष, अनुसूचित जाति/ जनजाति - 15 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग - 13 वर्ष ।

(सी) उन सभी व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट स्वीकार्य होगी, जो साधारणत: जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे थे, बशर्ते कि किसी भी परीक्षा में बैठने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट, संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अधीन होगी । जो व्यक्ति अनुमेय आयु सीमा की इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निम्नानुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा:

(i) कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वे सामान्यत: रहते थे; अथवा

(ii) किसी अन्य प्राधिकारी से, जो जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा इसके लिए पदनामित किया गया हो,

इस आशय का प्रमाणपत्र कि वे जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान सामान्यत: अधिवासी रहे थे ।

(डी) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट स्वीकार्य होगी ।

(ई) **जिन विभागीय अभ्यर्थियों की समान क्षेत्र में अथवा संबद्ध काडर में 3 वर्षों की लगातार सेवा** हो चुकी है, उनमें से सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45 वर्ष होगी ।

(एफ) **भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट :**

(i) वर्ग 'ग' के पदों के लिए, जिस भूतपूर्व सैनिक ने सशस्त्र बलों में कम से कम छह माह की लगातार सेवा की हो, उसे ऐसी सेवा की अवधि, उसकी वास्तविक आयु में से घटाने की अनुमति दी जाएगी और यदि, परिणामी आयु विहित अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो तो, उसकी आयु-सीमा की शर्त पूरी हुई ऐसा माना जाएगा ।

(ii) वर्ग 'ख' के पदों के लिए, सरकारी आदेशों के अनुसार

<u>टिप्पणी</u>: केवल जन्म प्रमाणपत्र या माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र ही जन्म तारीख के सबूत के रूप में स्वीकार्य होगा । परिवर्तन के लिए बाद में किया गया कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख ही, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के अलावा भारत के अन्य भागों में स्थित अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख होगी ।

V. **<u>चयन प्रक्रिया</u>:** चयन आरंभिक स्क्रीनिंग और बाद में निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षा में अर्हता के आधार पर किया जाएगा । आवेदनों की जांच के बाद, पात्र अभ्यर्थियों को, प्रतियोगी लिखित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा । परीक्षा मुंबई में आयोजित की जाएगी । लिखित परीक्षा के स्थान का विवरण, बाद में इसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा । लिखित परीक्षा/ कुशलता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए मुंबई में आना होगा ।

परीक्षा का पैटर्न:

सतर-I: लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प में से चयन)

(कनिष्ठ क्रय सहायक/ कनिष्ठ भंडारी/ आशुलिपिक ग्रेड-II/ आशुलिपिक ग्रेड-III)

भाग	विषय	अधिकतम अंक/ प्रश्न	समय	दृक् विकलांग अभ्यर्थियों के लिए समय
ए	सामान्य अंग्रेजी	50	2 घंटे	2 घंटे 40 मिनट
बी	सामान्य ज्ञान	50		
सी	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क	50		
डी	मात्रात्मक अभिवृत्ति (अंकगणित)	50		

स्तर-II: लिखित परीक्षा (विवरणात्मक)

(कनिष्ठ क्रय सहायक/ कनिष्ठ भंडारी)

विषय	अधिकतम अंक	समय	दृक् विकलांग अभ्यर्थियों के लिए समय
अंकगणित, अंग्रेजी भाषा तथा बोध (कॉम्प्रिहेनशन)	100	3 घंटे	4 घंटे

स्तर-II: कुशलता परीक्षा

(आशुलिपिक ग्रेड-II)

भाग	विषय (अंग्रेजी)	समय	अधिकतम अंक
ए1	120 श.प्र.मि. पर डिक्टेशन परीक्षा	07 मिनट	100
ए2	कम्प्यूटर पर ट्रांसक्रिप्शन परीक्षा	45 मिनट	
बी1	100 श.प्र.मि. पर डिक्टेशन परीक्षा	07 मिनट	100
बी2	कम्प्यूटर पर ट्रांसक्रिप्शन परीक्षा	35 मिनट	

नोट : ऐसे अभ्यर्थी जो 7 मिनट की अवधि की 120 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें ऐसे अभ्यर्थियों से रैंक में ऊपर रखा जाएगा जो 7 मिनट की अवधि में 100 शब्द प्रति मिनट की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

स्तर-II: कुशलता परीक्षा

(आशुलिपिक ग्रेड-III)

भाग	विषय (अंग्रेजी)	समय	अधिकतम अंक
ए1	80 श.प्र.मि. पर डिक्टेशन परीक्षा	07 मिनट	200
ए2	कम्प्यूटर पर ट्रांसक्रिप्शन परीक्षा	35 मिनट	

नोट:

ए) यदि और जब भी आवश्यक होगा, परीक्षा एक से अधिक बैच में आयोजित की जाएगी।

बी) **स्तर-I की परीक्षा का प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प में से चयन प्रकार का होगा।** भाग बी, सी, डी के संबंध में प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। भाग ए के प्रश्न अंग्रेजी में होंगे।

सी) कनिष्ठ क्रय सहायक/ कनिष्ठ भंडारी के संबंध में, स्तर-I और स्तर-II परीक्षा निरंतर दिनों में आयोजित की जाएगी। स्तर-II परीक्षा के उत्तर पेपरों का मूल्यांकन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में किया जाएगा जो स्तर-I में सफल घोषित किए जाएंगे। अंतिम चयन स्तर-II परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा।

डी) आशुलिपिक ग्रेड-II और ग्रेड-III के संबंध में जो अभ्यर्थी स्तर-I परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे, उन्हें ही कुशलता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन स्तर-I और स्तर-II परीक्षा (कुशलता परीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

VI. **ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना :**

1. अभ्यर्थियों को वेबसाइट **https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/** या **www.dpsdae.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा । **आवेदन का कोई अन्य साधन/ तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा ।**
2. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन में प्रकाशित पदों के ब्यौरे तथा अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें ।
3. अभ्यर्थियों को वैध ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर रखना होगा । इस भर्ती के दौरान, यह सक्रिय रहना चाहिए । यह निदेशालय, लिखित परीक्षा, कुशलता परीक्षा इत्यादि के लिए बुलावा पत्रों की सूचना, केवल पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से देगा ।
4. **ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक 17/03/2018 से शुरू की जाएगी तथा दिनांक 16/04/2018 को बंद कर दी जाएगी ।**
5. जो अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करें ।
6. अभ्यर्थियों को आवेदन प्रस्तुत करने से पहले .jpg या .jpeg फार्मेट में स्पष्ट फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना आवश्यक है । फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का साइज प्रत्येक के लिए **50KB** से अधिक नहीं होना चाहिए ।

VII. **सामान्य अनुदेश:**

1. **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के दिन तक, जिन अभ्यर्थियों ने शैक्षिक अर्हता प्राप्त नहीं की है वे आवेदन न करें ।**
2. **केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कार्यरत व्यक्तियों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता का "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा ।**
3. **ऊपर दर्शाई गई रिक्तियॉं, अनंतिम एवं फिलहाल प्रक्रियाधीन तीसरी काडर समीक्षा के परिणामों पर आधारित परिवर्तनों के अधीन हैं । विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की भर्ती, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के मद्देनज़र, यदि उन्हें न भरने का निर्णय लिया जाता है, तो नहीं भी भरी जाएंगी ।**
4. **स्क्रीनिंग में चयनित आवेदकों को ही, प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा ।**
5. **विज्ञापन में दी गई आवश्यकताओं को पूरा करने मात्र से, कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/ कुशलता परीक्षा के लिए बुलाए जाने हेतु पात्र नहीं हो जाता ।**
6. **इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों में इस निदेशालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा ।**
7. इस मामले में, बाद में किए गए सुधार/ संशोधन आदि, केवल डीपीएस वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएंगे । अत: अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें ।
8. लिखित परीक्षा (परीक्षाओं) हेतु बुलाए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बाहरी स्थानों के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियमानुसार सबसे छोटे मार्ग के एक व्यक्ति के द्वितीय श्रेणी (सामान्य) के आने-जाने के रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यह एमपी/एमएलए/राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त बेरोजगार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगी । यदि रियायती दर पर टिकट उपलब्ध हों तो रियायती वापसी किराए तक ही प्रतिपूर्ति सीमित होगी । यदि भारतीय रेल, बेरोजगार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कुशलता परीक्षा आदि में उपस्थित होने के लिए नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देता है तो अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे उक्त सुविधा का लाभ लें ।
9. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे सही सूचना दें । जो अभ्यर्थी गलत सूचना देंगे, उन्हें लिखित परीक्षा/नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है ।
10. **अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि तैनाती सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार और रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार होगी और वे भारत के किसी भी हिस्से में तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने के लिए बाध्य होंगे ।**
11. नियुक्त अभ्यर्थी, केन्द्रीय सरकार की सेवा में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा अधिशासित किए जाएंगे । (यदि वे पहले से ही केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 द्वारा अधिशासित न हो)
12. इस निदेशालय को अधिकार होगा कि वह विज्ञापित पद भरे या कोई कारण बताए बिना भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दें ।
13. **दस्तावेज़ सत्यापन/ चिकित्सा परीक्षण / नियुक्ति इत्यादि के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा** ।
14. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा साक्ष्यांकित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी:
    - ए) आवेदन की अंतिम तारीख तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त किए जाने के सबूत के तौर पर शैक्षिक योग्यता के समर्थन में उचित अंकतालिकाएं/ प्रमाणपत्र, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
    - बी) जन्म तारीख/आयु का प्रमाण
    - सी) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में, पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और उस समुदाय को संबंधित राज्य के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया होना चाहिए । (**अनुलग्नक 1** में दिए गए फार्मेट के अनुसार)

डी) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र नॉन-क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र के साथ तथा निर्धारित प्रपत्र में, पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ तथा नवीनतम वैधता तारीख का होना चाहिए और उस जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूचियों में शामिल किया गया होना चाहिए । **(अनुलग्नक-2)**

ई) शारीरिक विकलांगता के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र (**अनुलग्नक 3** में दिए गए फार्मेट के अनुसार)

एफ) रक्षा सेवा से सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र (केवल पूर्व रक्षा कार्मिकों के लिए लागू)

जी) अभ्यर्थी के 1984 के दंगों से प्रभावित होने का सबूत । (यदि आयु सीमा में छूट हेतु दावा करते हैं)

एच) दिनांक 01/01/1980 से 31/12/1989 तक कश्मीर संभाग में अधिवासी होने का प्रमाणपत्र (यदि कश्मीर संभाग हेतु आयु सीमा में छूट के लिए दावा करते हैं)

15. अन्य अभ्यर्थियों के साथ रियायत मानकों के बिना अपनी निजी मेरिट पर चयनित अ.जा/ अ.जा.जा/ अ.पि.व. के विकलांग अभ्यर्थियों पर अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा बशर्तें पद, संबंधित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आइडेंटीफाई की गई हो । (यथा लागू)

VIII. शारीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र के संबंध में महत्वपूर्ण आवश्यकता

1. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) व (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31/12/1996 की विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) नियमावली 1996 के अनुसार केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । केंद्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाला मेडिकल बोर्ड गठित करे जिसमें से कम से कम एक सदस्य संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए ।
2. प्रमाणपत्र उन व्यक्तियों के लिए 05 वर्ष की अवधि तक ही वैध रहेगा जिनका अपंगत्व अस्थायी है । चिकित्सा बोर्ड को प्रमाणपत्र की वैधता अवधि इंगित करनी होगी जहां विकलांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना हो । जो व्यक्ति स्थाई रूप से विकलांग हों उनके प्रमाणपत्र स्थाई रूप से वैध दर्शाए जा सकते हैं । आवेदक द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर, चिकित्सा बोर्ड, मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में, यथोचित आदेश पारित कर सकता है ।

चेतावनी: जो आवेदन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होंगे उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा । जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/ दस्तावेज़ सत्यापन/ नियुक्ति के लिए नहीं चुने जाएंगे उनके साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

जिन अभ्यर्थियों का चयन न हुआ हो उनका रिकार्ड, चयन सूची तैयार करने की तारीख से 6 माह की अवधि के बाद सुरक्षित नहीं रखा जाएगा ।

किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश को अयोग्यता माना जाएगा

Government of India
Department of Atomic Energy
Directorate of Purchase & Stores
Vikram Sarabhai Bhavan, '0' floor, Anushaktinagar,
Mumbai, Maharashtra – 400 094.

ADVERTISEMENT NO.: 1/DPS/2018

"GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY"

I. Online applications are invited for the following Group 'B' and Group 'C' posts from eligible candidates for filling up the vacancies in DPS, Mumbai and other Regional Units of DPS all over India.

1. **NAME OF THE POST: STENOGRAPHER GRADE-II – GROUP 'B' NON-GAZETTED**

NUMBER OF VACANCIES	**SC**	**ST**	**OBC**	**UR**	**TOTAL**
	-	-	1	-	1
QUALIFICATION	Matriculation or equivalent. Speed of 100 w.p.m in English Shorthand and 45 w.p.m. in English typing.				
AGE LIMIT	18 years minimum and 27 years maximum.				
PAY BAND	Level 6 in the Pay Matrix. Initial pay `35400/-				

2. **NAME OF THE POST: STENOGRAPHER GRADE-III – GROUP 'C' NON-GAZETTED**

NUMBER OF VACANCIES	**SC**	**ST**	**OBC**	**UR**	**TOTAL**
	1	-	1	3	5
QUALIFICATION	Matriculation or equivalent with 50% marks. Speed of 80 w.p.m in English Stenography. Typing speed in English of 30 w.p.m.				
AGE LIMIT	18 years minimum and 27 years maximum.				
PAY BAND	Level 4 in the Pay Matrix. Initial pay `25500/-				

3. **NAME OF THE POST: JUNIOR PURCHASE ASSISTANT/ JUNIOR STOREKEEPER – GROUP 'C' NON-GAZETTED (SPECIAL DRIVE FOR EX-SERVICEMEN)**

NUMBER OF VACANCIES	**SC**	**ST**	**OBC**	**UR**	**TOTAL**
	-	-	1	3	4
QUALIFICATION	Any Degree of recognized University with an aggregate of minimum 50% marks. Diploma in Materials Management will be preferred.				
AGE LIMIT	18 years minimum and 27 years maximum.				
PAY BAND	Level 4 in the Pay Matrix. Initial pay `25500/-				

4. **NAME OF THE POST: JUNIOR PURCHASE ASSISTANT/ JUNIOR STOREKEEPER – GROUP 'C' NON-GAZETTED (SPECIAL DRIVE FOR PERSONS WITH DISABILITIES)**

NUMBER OF VACANCIES	**SC**	**ST**	**OBC**	**UR**	**TOTAL**	**Physically Handicapped:** 1 Post of **HH(PD)** category will be filled.
	-	-	-	1	1	
QUALIFICATION	Any Degree of recognized University with an aggregate of minimum 50% marks. Diploma in Materials Management will be preferred.					
AGE LIMIT	18 years minimum and 27 years maximum.					
PAY BAND	Level 4 in the Pay Matrix. Initial pay `25500/-					

II. **Legend** : HH- Hearing Handicapped, PD- Partially Deaf.

Physical deformity should not be less than 40 percent. "HH or Impairment" means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.

III. **NATURE OF DUTIES/ JOB DESCRIPTION:**

1. **STENOGRAPHER GRADE-II & STENOGRAPHER GRADE-III**

   All office work including typing, shorthand, note-taking, maintenance of files and documents.

2. **JUNIOR PURCHASE ASSISTANT/ JUNIOR STOREKEEPER**

   In addition to desk work, the job also includes strenuous outdoor duties relating to airport/docks clearance, visiting markets, looking after open store Yards, attending to loading and unloading of equipments/ materials, duties at Railway siding, escorting transport of materials by Road/Rail to distant places etc.

IV. **AGE LIMIT & RELAXATION: 18 years minimum and 27 years maximum for all posts.**

(a) Relaxation in upper age limit up to a maximum of 5 years for SC/ST candidates and 3 years for OBC candidates.

(b) Relaxation in upper age limit for PH candidates: UR- 10 years, SC/ST- 15 years and OBC – 13 years.

(c) Relaxation in the upper age limit of 5 years shall be admissible to all persons who had ordinarily been domiciled in Kashmir Division of the state of J&K during the period from the 1st day of January 1980 to 31st day of December, 1989 provided that the relaxation in the upper age limit for appearing at any examination shall be subject to the maximum number of chances permissible under the relevant rules. Any person intending to avail of this relaxation of age limit shall submit a certificate from:

   (i) The District Magistrate in the Kashmir Division within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided; or

   (ii) Any other authority designated in this behalf by the Government of J&K

   to the effect that he/she had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st day of January 1980 to the 31st day of December 1989.

(d) Relaxation in the upper age limit of 5 years shall be admissible to children/family members of those who died in the 1984 riots.

(e) **For departmental candidates with 3 years continuous service** in the same line or allied cadre, upper age limit will be 40 years for general candidates, 43 years for OBC candidates, 45 years for SC/ST candidates.

(f) **Age relaxation to ex-servicemen:**

   (i) for Group 'C' posts, ex-service personnel who have put in not less than six months' continuous service in the Armed Forces shall be allowed to deduct the period of such service from his actual age and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age by more than three years, he/ she shall be deemed to satisfy the condition regarding age-limit.

   (ii) For Group 'B' posts, as per Government Orders.

Note: Only Birth Certificate or Secondary School Certificate will be accepted as proof of Date of Birth. No subsequent request for change shall be granted. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (Other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)

V. **METHOD OF SELECTION:** Selection will be made on the basis of initial screening and then qualifying in the following competitive examination. After scrutiny of applications, eligible candidates will be issued with admit card to appear in the Competitive Written Examination. Examination will be held at Mumbai. Details of venues for the written examination will be notified later on this web site. Those who qualify in the Written Examination/ Skill Test will have to appear for document verification in Mumbai.

EXAMINATION PATTERN:

Tier - I — Written Examination (Objective Multiple Choice Type)

(JR. PURCHASE ASSISTANT/ JR. STOREKEEPER/ STENO GR-II/ STENO GR-III)

Part	Subjects	Max Marks/ Questions	Duration	Duration for visually handicapped candidates
A	General English	50	2 Hours	2 Hours 40 Minutes
B	General Knowledge	50		
C	General Intelligence & Reasoning	50		
D	Quantitative Aptitude (Arithmetic)	50		

Tier - II — Written Examination (Descriptive Type)

(JR. PURCHASE ASSISTANT/ JR. STOREKEEPER)

Subjects	Max Marks	Duration	Duration for visually handicapped candidates
Arithmetic, English Language & Comprehension	100	3 Hours	4 Hours

Tier - II — Skill Test:

(STENOGRAPHER GR-II)

Part	Subjects (English)	Duration	Max Marks
A1	Dictation Test at 120 w.p.m.	07 minutes	100
A2	Transcription Test on computer	45 minutes	
B1	Dictation Test at 100 w.p.m.	07 minutes	100
B2	Transcription Test on computer	35 minutes	

Note: Candidates who qualify in the Stenography test of 120 w.p.m of 7 minutes duration will rank above the candidates who qualify the test of 100 w.p.m of 7 minutes duration.

Tier - II — Skill Test:

(STENOGRAPHER GR-III)

Part	Subjects (English)	Duration	Max Marks
A1	Dictation Test at 80 w.p.m.	07 minutes	200
A2	Transcription Test on computer	35 minutes	

Note:

a) If and wherever felt necessary, the examination will be held in more than one batch.

b) **Questions for Tier-I Exam will be of Objective Type Multiple Choice.** The questions will be set both in Hindi and English in respect of parts B, C, D. Questions for Part A will be in English.

c) In respect of JPA/JSK, the Tier-I and Tier-II examinations will be conducted on consecutive days. Answer papers of Tier-II examination will be evaluated only in respect of those candidates who are declared successful in the tier-I examination. Final selection will be based only on the marks scored in the Tier-II examination.

d) In respect of Stenographer Grade-II and Grade-III those who are declared successful in the Tier-I examination only will be called for skill test. Final selection will be based on the marks scored in the Tier-I and Tier-II exam (skill test).

VI. SUBMISSION OF ON-LINE APPLICATION:

1. Candidates are required to apply online through **https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/** or **www.dpsdae.gov.in. No other means/ mode of application will be accepted.**
2. Candidates are requested to go through carefully, the details of posts and instructions published in the advertisement.
3. Candidates are required to have a valid Email ID and mobile number. It should be kept active during the currency of this recruitment. This Directorate will send intimation about call letters for written examination, skill test etc. through the registered Email ID only.
4. **The facility of online application will be opened on 17/03/2018 and closed on 16/04/2018.**

5. Candidates who wish to apply for more than one post should apply separately for each.
6. Candidates are required to upload clear photograph and signature in .jpg or .jpeg format before submitting the application. Size of photograph and signature should not be more than 50KB each.

VII. GENERAL INSTRUCTIONS:

1. **Candidates who have not acquired the educational qualification as on the closing date for receipt of application need not apply.**
2. **Persons working under the Central/ State Government/ Public Sector Undertakings should submit a "NO OBJECTION CERTIFICATE" from their employer at the time of document verification.**
3. **The vacancies shown above are provisional and subject to variation based on the outcome of 3rd Cadre Review, now under process. The filling up of vacancies indicated in the advertisement is also subject to the approval of Competent Authority and may not be filled up if so decided in terms of the orders issued by Government from time to time.**
4. **Only screened-in applicants will be called for competitive written test.**
5. **Mere fulfillment of requirements as laid down in the advertisement does not entitle a candidate to be called for written examination/ skill test.**
6. **The decision of this Directorate on all matters pertaining to this recruitment will be final and binding.**
7. Any subsequent amendments/modifications etc. on this matter will be notified in the DPS website only which may be referred to by the candidates regularly.
8. Only unemployed outstation SC/ST candidates called for written test(s) will be eligible for reimbursement of to and fro journey expenses limited to single SECOND CLASS (General) railway fare by the shortest route as per rules subject to production of un-employment certificate from MP/MLA/Gazetted Officer. If concessional tickets are available, reimbursement will be limited to the concessional return fare only. In case Indian railway is offering free travel to unemployed candidates for attending written tests/skill tests etc. candidates are advised to avail the said facility.
9. Candidates may ensure that they fill in the correct information. Candidates who furnish false information are liable to be disqualified for written test/ appointment.
10. **Candidates may please note that posting will be at the discretion of the Competent Authority and subject to the availability of vacancy and are liable to serve in any part of India and in any of the constituent units of the Department of Atomic Energy.**
11. The candidates appointed will be governed by National Pension Scheme applicable to Central Government Service [unless they are already governed by CCS (Pension) Rules 1972].
12. This Directorate reserves the right to fill up the advertised posts or to cancel the whole process of recruitment without assigning any reasons.
13. **Travelling Allowance will not be paid to the candidates called for document verification/medical examination/appointment etc.**

14. Candidates would be required to produce the relevant certificates in original and submit attested copies of the following certificates at the time of document verification after the written test:
    a) Educational qualifications supported by appropriate mark sheets/certificates as proof of possessing the minimum educational qualification as on the closing date failing which the candidature of such candidate will be cancelled.
    b) Date of birth/Proof of age.
    c) SC/ST candidates' caste certificate should be issued by designated authority in the prescribed format and the community should have been included in the Presidential orders in relation to the concerned state (as per the format given in **Annexure-1**).
    d) OBC candidates' caste certificate should be of a recent valid date and issued by designated authority in the prescribed format with non-creamy layer certificate and the caste/community should have been included in the Central lists of Other Backwards Class. **(Annexure-2)**

e) Disability Certificate from the appropriate authority regarding physical disability (as per the format **Annexure- 3**)
f) Discharge Certificate from defence service (applicable to Ex-defence personnel only).
g) Proof to the effect that they have been affected by 1984 riots (if claiming age relaxation).
h) Certificate regarding domicile in Kashmir Division from 01.01.1980 to 31.12.1989 (if claiming age relaxation for Kashmir Division).

15. Those SC/ST/OBC persons with disabilities selected on their own merit without relaxed standards along with other candidates; will be considered against unreserved vacancies provided the post is identified for persons with disability of relevant category (as applicable).

VIII. IMPORTANT REQUIREMENT ABOUT PHYSICAL DISABILITY CERTIFICATE

1. According to the 'Persons With Disabilities (equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1996' dated 31/12/1996 in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), a disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the Central or a State Government. The Central/State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members, out of which, at least, one member shall be a Specialist from the relevant field.
2. The Certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate where there are chances of variation in the degree of disability. For those who acquired permanent disability, the validity can be shown as permanent. On representation by the applicant, the Medical Board may review its decision having regard to all the facts and circumstances of the case and pass such orders in the matter as it thinks fit.

Warning: Applications which are not in conformity with the requirements will be summarily rejected. No communication will be entertained from candidates not selected for written test/ document verification/ appointment.

Record of the candidates not selected shall not be preserved beyond 6 months from the date of formation of Select List.

CANVASSING IN ANY FORM SHALL BE A DISQUALIFICATION